न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 20/23 GCMS NO 2023/58

मूर्ति श्री गोविन्ददेव जी महाराज विराजमान धुन्धेश्वर ग्राम चूली जरिये संरक्षक वाद मित्र शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास जाति ब्राहम्ण निवासी धून्धेश्वर चूली तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामचरण पुत्र मोती
2. कल्लू पुत्र मोती
3. अमरलाल पुत्र मोती
4. धर्मसिह पुत्र मोती
5. दिनेश पुत्र मोती
6. सोनो बेवा मोती
7. हरि पुत्र लक्ष्मण
8. हरकेश पुत्र लक्ष्मण
9. कमल पुत्र लक्ष्मण
10. कमल पुत्र लक्ष्मण
11. जगनी बेवा लक्ष्मण सभी जातियान माली निवासीयान खानपुर बदौदा ढाणी पेमापुरा तहसील गंगापुर सिटी
12. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 48/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री परमानन्द शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम खान

दिनांक 15.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 26.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने एक दावा पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान चूली की खातेदारी की भूमि बंदोबस्त सम्वत 2008 लगायत 2011 ख0न0 640 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 646 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, 763 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, 764 रकबा 4 विस्वा, 815/6 रकबा 12 विस्वा, 817/1 रकबा 13 विस्वा ग्राम खानपुर बडौदा पैमा का पुरा मे स्थित है। जिसमे उपकृषक के रूप मे प्रार्थीगण के ताउ देवीलाल पुत्र शिब्बू माली उपकृषक के रूप मे काश्त कर रहे थे। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता व प्रार्थी संख्या 6 के पति तथा प्रार्थी संख्या 7 से 9 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 10 के पति लक्ष्मण तथा देवीलाल आपस में भाई थे। देवीलाल पुत्र शिब्बू का उक्त भूमि पर बतौर उपकृषक सम्वत 2008 से कब्जा चला आ रहा है। मंदिर श्री गोविन्ददेव जी का उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

से कभी कोई वास्ता नही रहा है। देवीलाल लाऔलाद के अविवाहित फौत हुआ है। देवीलाल के मरने के बाद मोती एवं लक्ष्मण काश्त करते रहे तथा मोती एवं लक्ष्मण के मरने के बाद उक्त भूमि प्रार्थीगण काश्त कर रहे है। सम्वत 2012 मे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर देवीलाल,मोतीलाल,लक्ष्मण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा राज्य सरकार द्वारा मंदिर के भोग विलास एवं अन्य खर्चो के लिए ऐन्यूटी जारी कर दी गई। एकीकरण सम्वत 2018 मे भूमि के नये नम्बर 295/1,295/2,295/3 एवं 415 कायम किये गये। वर्तमान सेटलमेट मे नये नम्बर 685 रकबा 0.31 है0 , 689 रकबा 0.37 है0, 915 रकबा 0.41 है0 , 916 रकबा 0.51 है0 कायम किये है लेकिन सेटलमेट विभाग ने बिना किसी अधिकार के गलत रूप से बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना ही उक्त भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। भूमि हाल ख0न0 685,689,915,916 पर प्रार्थीगण का कब्जा आज भी निरन्तर चला आ रहा है। भूमि सेटलमेट विभाग द्वारा मंदिर के नाम दर्ज किये जाने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि हाल ख0न0 685 रकबा 0.31 है0 , 689 रकबा 0.37 है0, 915 रकबा 0.41 है0 , 916 रकबा 0.51 है0 ग्राम खातपुरा बडौदा से बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से आहत होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड को नजर अंदाज कर विधि के विरूद्व पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति शाश्वत नाबालिंग की विधिक स्थिति तथा उसके संदर्भ मे प्रचलित सुस्थापित विधि तथा न्यायिक दृष्टांतो की हिंसा कर आदेश पारित किया है। मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है जिसकी सम्पति या कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का स्वामित्व या खातेदारी अधिकार किसी भी रूप म उत्पन्न नही हो सकते है। चूकिः मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है तथा उसकी इच्छा के विरूद्व उसकी सम्पति या कृषि भूमि पर काबिज व्यक्ति की हैसियत मात्र एक अतिकमी की होती है। वादीग्रस्त कृषि भूमि से अपीलार्थी मूर्ति के भोगराग व सेवा पूजा की व्यवस्था जमाने बुर्जगान से वाद मित्रो द्वारा ही की जाती रही है। परन्तु सबंधित प्रत्यर्थीगण द्वारा मूर्ति की भूमि पर अतिकमण कर लिये जाने के कारण अपीलार्थी मूर्ति उक्त कृषि भूमि के लाभ से बंचित हो गई है। मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने के कारण उसके हितो की रक्षा करने का दायित्व विधि अनुसार न्यायालय पर है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति को अनदेखा कर अपीलार्थी की और से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत कायम रिसीवरी अपनें आक्षेपित आदेश से निरस्त कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 का पुराना कब्जा दर्शाते हुए कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवरी की आड मे कब्जे से बेदखल नही किये जाने का अपने आदेश मे [illegible] किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति की विवेचना करते [illegible] के संबंध मे प्रचलित सुस्थापित विधि एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो की अवहेलना की है। [illegible] बाबत भली भांति प्रमाणित है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मूर्ति शाश्वत नाबालिंग है जिसकी कृषि भूमि के संबंध मे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है ना ही मूर्ति की इच्छा के विरूद्व कोई व्यक्ति कृषि भूमि को कब्जे मे रख सकता है। मूर्ति के हितो की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय पर है। जिसका अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट उल्लेख किया गया था साथ ही रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने, अवेध रूप से भूखण्डो की शक्ल मे विकय करने के दस्तावेज पेश किये गये थे लेकिन अधिनरथ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की हिंसा कर आदेश पारित किया गया है। अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की और प्रस्तुत मूर्ति के हितार्थ रिसीवर नियुक्त किये जाने के संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो व दस्तावेजो अथवा विधिक स्थिति की कोई विवेचना नही की गई है। केवल मात्र यह अंकित किया है कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांता चस्पा नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा किया है कि उभयपक्ष के मध्य उत्पन्न गंभीर प्रश्नो का निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही किया जाना न्यायोचित होगा। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्वजो के समय से रेस्पो0 के कब्जे की भूमि मानकर उक्त विधिक स्थिति की सरेआम हिंसा की है। जबकि उक्त तथ्य उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णित किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 685 रकबा 0.31 है0 , 689 रकबा 0.37 है0, 915 रकबा 0.41 है0 , 916 रकबा 0.51 है0 अपीलार्थी मूर्ति शाश्वत नाबालिंग के हितार्थ रिसीवर नियुक्त कर भूमि को कब्जे राज मे लेकर रिसीवर से वादग्रस्त भूमि की काशत व्यवस्था करवाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी भूमि बंदोवस्त सम्वत 2008 से 2011 ख0न0 640,645,646,815/6,817/1 ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित रही है। जिस पर उपकृषक के रूप मे प्रार्थीगण के ताउ देवीलाल पुत्र शिब्बू का कब्जा काश्त दर्ज था। देवीलाल लाऔलाद अविवाहित फौत हो गया। देवीलाल के दो भाई मोतीलाल व लक्ष्मण थे जो रेस्पो0 के पिता है। शिब्बू के तीन पुत्र देवीलाल,मोतीलाल व लक्ष्मण है। देवीलाल के मरने के बाद उक्त भूमि की खातेदारी देवीलाल के भाई मोतीलाल एवं लक्ष्मण के नाम दर्ज हो गई। जारीर पुर्नग्रहण के समय इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिया गया तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि की खातेदारी उपकृषको के नाम दर्ज कर दी गई। जो प्रार्थीगण/रेस्पो0 के कब्जे मे है। सेटलमेट विभाग द्वारा यह भूमि गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई। भूमि पहले मंदिर के नाम थी लेकिन 1952 मे खालसा दर्ज कर दी गई व मंदिर के हक मे एन्यूटी जारी कर दी गई। प्रार्थीगण के पिता 1952 मे उक्त भूमि के उपकृषक थे इसलिए उन्हे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत सही रूप से खातेदारी दी गई। लेकिन गलती से सेटलमेंट विभाग ने भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी। जबकि भूमि पर आज भी कब्जा रेस्पो0 का ही है। अपीलांट द्वारा रूपये ऐठने की नियत से अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र रिसीवर प्रस्तुत कर प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात को रिसीवरी मे लेने बाबत काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वार अपने विभिन्न मतो मे यह स्पष्ट किया है कि कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवरी की आड मे बेदखल नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही अपीलांट [illegible] का काउन्टर क्लेम खारिज किया है। राज्य सरकार एवं राजस्व मंडल द्वारा [illegible] है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के समय भूमि पर [illegible] एवं उपकृषक के रूप मे पुजारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के अलावा किसी तृतीय पक्ष का कब्जा है तथा उक्त भूमि खातेदार,पटटेदार,खादिमदार एवं उपकृषक के नाम दर्ज हो चुकी है तो उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज नही किया जा सकता। यह भूमि सम्वत 2012 से उपकृषक के रूप मे रेस्पो/प्रार्थीगण के ताउ देवीलाल के नाम दर्ज थी। इसलिए उसे सही रूप से खातेदारी दी गई है। इसके बावजूद सेटलमेट विभाग द्वारा गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज की गई थी। सेटलमेट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने का प्रार्थीगण/रेस्पो0 अधिकारी है। सेटलमेंट की गलती की आड मे अपीलांट/अप्रार्थीगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पक्ष मे साबित होने एवं कब्जा भी रेस्पो/प्रार्थीगण का होने के कारण ही प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुसार ही स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात पूर्व मे मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय आराजीयात को राज्य सरकार द्वारा पुर्नग्रहण कर लिये जाने पर जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान दे दिये गये। विचाराधीन प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमे प्राईमाफेसी केस,सुविधा का सुतलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। चूकिः विवादित आराजीयात सेटलमेट से पूर्व प्रार्थीगण/रेस्पो0 की खातेदारी मे दर्ज रही है तथा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण/रेस्पो0 व उनके बुर्जगान का होना सिद्व होता है। इस प्रकार अपीलांट/अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होना संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्वान्तो के मद्वेनजर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 48/19 निर्णय दिनांक 26.12.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner